

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर चतुर्थ पेट्ट क्रम 2022257015513

आवेदन संख्या : 202200734090365

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

2022-12-09 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम अरूणा मित्तल

लेख का प्रकार

दान पत्र

प्रतिफल की धनराशि 0 / 4900000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क

49000

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क

60

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुछ्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग

49060

शुल्क बमूल करने का दिनांक


2022-12-09 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा

2022-12-09 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



{ 2 }

(ई-स्टॉम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP71769790831201U)

उपहार-पत्र (गिफ्ट डीड)

उपहार-पत्र मालियती अंकन :- 49,00,000/- रुपये।

स्टॉम्प शुल्क मय ड्यूटी अंकन :- 3,43,800/- रुपये किन्तु उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 संख्या-8/2022/566/94-एस0आर0-2-2022-700(29)/2021 लखनऊ दिनांक 18 जून, 2022 ई0 के अनुसार अंकन 5,000/- रुपये का संलग्न ई-स्टॉम्प (सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP71769790831201U) द्वारा स्टॉम्प शुल्क अदा किया गया है।

- 1- उपहार भवन नगरीय क्षेत्र की सीमा के अन्दर स्थित है।
- 2- उपहार भवन आवासीय है और आवासीय हेतु उपहार में दिया जा रहा है।
- 3- उपहार भवन के स्थल के लिये उपनिबन्धक प्रथम मेरठ द्वारा निर्धारित भूमि का सर्किल रेट लिस्ट के पेज नम्बर 50 पर क्रमांक नम्बर 250 के वी-कोड नम्बर 194 के अनुसार अंकन 21,400/- रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है, किन्तु उपहार भवन दो रास्तों पर स्थित होने के कारण सर्किल रेट में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके यानि अंकन 23,540/- रुपये प्रति वर्ग मीटर होता है।
- 4- उपहार भवन का कवर्ड ऐरिया 88.19 वर्ग मीटर है जो अभी अर्द्धनिर्मित है, जिसका निर्माण प्रथम श्रेणी का है जिसके निर्माण लागत के लिये सर्किल रेट प्रथम श्रेणी के क्रमांक नम्बर 1

Abina mittal



Mittal



(ई-स्टॉम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP71769790831201U)

के अनुसार अंकन 14,000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है तथा उपहार भवन का नक्शा साथ में संलग्न है।

5- उपहार भवन मैन रोड से हटकर अन्दर की ओर स्थित है तथा उपहार भवन की 50 मीटर की त्रिज्या के अन्दर कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं हैं।

6- उपहारदात्री व उपहारग्रहिता एक ही परिवार के सदस्य हैं व दोनों आपस में सगे माता-पुत्र हैं।

7- उपहारदात्री विकलांग जन/दृष्टिबाधित नहीं है।

8- इस उपहार-पत्र पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यपूर्वक पालन किया गया है।



हम कि श्रीमती अरूणा मित्तल (आधार नं० :- XXXX XXXX 4112 व पैन नं० :- AXAPM7770N) पत्नी श्री विजय कुमार निवासी ए-51, गंगा सागर कालौनी, गंगानगर, मेरठ-----प्रथम पक्ष (उपहारदात्री-माता)।।
(मोबाईल नम्बर :- 9457444904)

व

श्री प्रशान्त मित्तल (आधार नं० :- XXXX XXXX 3603 व पैन नं० :- AINPM3273E) पुत्र श्री विजय कुमार निवासी ए-51, गंगा सागर कालौनी, गंगानगर, मेरठ-----द्वितीय पक्ष (उपहारग्रहिता-पुत्र)।।
(मोबाईल नम्बर :- 9412865696)

जो कि एक आवासीय भवन नम्बर 56 जो प्लॉट नम्बर 56 पर बना है, क्षेत्रफल 154.40 एक सौ चौब्वन दशमलव चार शून्य वर्ग मीटर, जुज खसरा नम्बर 191/2, स्थित हनी गोल्फ ग्रीन्स कालौनी, राजस्व ग्राम रैसना, परगना व तहसील

Aruna mittal

(ई-स्टॉम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP71769790831201U)

व जिला मेरठ जिसकी प्रथम पक्ष उपहारदात्री व्यक्तिगत स्वामिनी, काबिज व पूर्णतः उपहार में देने की अधिकारी है। उक्त भवन के नीचे की भूमि को श्री निखिल मित्तल ने बजरिये बैनामा दिनांक 08-06-2012 ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 खण्ड 8769 के सुफे 209/230 में नम्बर 6325 दफ्तर रजिस्ट्री उपनिबन्धक प्रथम मेरठ हुई, इकरारी श्रीमती स्नेह अग्रवाल से खरीद किया था। तत्पश्चात् उक्त सम्पत्ति व अन्य सम्पत्ति की बाबत न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कोर्ट सं0 7, मेरठ के वाद संख्या 821/2014 श्रीमती अरुणा मित्तल बनाम निखिल मित्तल में हुए आपसी पारिवारिक समझौतेनामे के आधार पर आदेश दिनांक 27-07-2014 ई0 द्वारा प्रथम पक्ष उपहारदात्री को प्राप्त हुआ है। मैं प्रथम पक्ष उपहारदात्री अपने उक्त भवन को इस उपहार-पत्र द्वारा अपने सगे पुत्र श्री प्रशान्त मित्तल उपहारग्रहिता द्वितीय पक्ष को उपहार में दे रही हूँ जिसकी मैं व्यक्तिगत स्वामिनी व काबिज व पूर्णतः उपहार में देने की अधिकारी हूँ तथा किसी भी व्यक्ति को उपहार आदि में देने की पूर्णतः अधिकारी हूँ। मुझ प्रथम पक्ष उपहारदात्री को अपना सगा पुत्र श्री प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार निवासी ए-51, गंगा सागर कालौनी, गंगानगर, मेरठ बहुत प्रिय है तथा मैं उससे अत्यन्त स्नेह व लगाव रखती हूँ। मुझ प्रथम पक्ष उपहारदात्री की इच्छा उक्त भवन को उपहार में देने की है। मुझ प्रथम पक्ष उपहारदात्री की हार्दिक इच्छा है कि अपने जीवनकाल में ही अपने उक्त भवन का अपने समान ही अपने सगे पुत्र श्री प्रशान्त मित्तल को स्वामी बना दूँ। प्रथम पक्ष उपहारदात्री का उक्त भवन आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त तथा रहित है तथा कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष उपहारदात्री के अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष उपहारदात्री ने अपने उक्त भवन को अपनी स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में बिना दबाव





(ई-स्टॉम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP71769790831201U)

व बहकाव के बिना कोई प्रतिफल प्राप्त किये, अपने सगे पुत्र श्री प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार निवासी ए-51, गंगा सागर कालौनी, गंगानगर, मेरठ द्वितीय पक्ष को उपहार में दे दिया है और आज के बाद प्रथम पक्ष उपहारदात्री का कोई स्वत्व अधिकार उक्त उपहार भवन से नहीं रहा है और ना ही आईन्दा होगा तथा आज ही कब्जा मालिकाना एवं भौतिक उपहारग्रहिता द्वितीय पक्ष को प्रदान कर दिया है और द्वितीय पक्ष उपहारग्रहिता ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब उक्त भवन से सम्बन्धित समस्त अधिकार उपहारग्रहिता द्वितीय पक्ष को प्राप्त होंगे व रहेंगे। द्वितीय पक्ष उपहारग्रहिता को अधिकार होगा कि वह उक्त भवन का किसी व्यक्ति को बैनामा, इकरारनामा, मुख्तारनामा, वसीयतनामा करें व उपहार में दें तथा उक्त भवन किसी बैंक या संस्था आदि में बन्धक रखें। उक्त भवन पर द्वितीय पक्ष उपहारग्रहिता अपना नाम नगर निगम के अभिलेखों व सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों में स्वामी के रूप में अंकित करा लें, इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष उपहारग्रहिता को प्रथम पक्ष उपहारदात्री के किसी प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र आदि पर हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी तो प्रथम पक्ष उपहारदात्री उन प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र आदि पर हस्ताक्षर करने की पाबन्द रहेंगी, जिसमें प्रथम पक्ष उपहारदात्री को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर अब या आईन्दा प्रथम पक्ष उपहारदात्री का कोई अन्य वारिस व कोई सगा-सम्बन्धी इस उपहार-पत्र के खिलाफ किसी प्रकार की कोई दावेदारी करता है तो वह कतई नाजायज समझी जायेगी। अतः यह उपहार-पत्र लिख दिया ताकि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और समय पर काम आवें। इति: ॥

-: माप व सीमाएँ उक्त उपहार भवन :-

पूरब :- 16 मीटर तत्पश्चात् प्लाट नम्बर 55.

पश्चिम :- 16 मीटर तत्पश्चात् रास्ता 7.50 मीटर चौड़ा (वर्तमान में रास्ता 9.00 मीटर चौड़ा)।

उत्तर :- 9.65 मीटर तत्पश्चात् रास्ता 7.50 मीटर चौड़ा।

दक्षिण :- 9.65 मीटर तत्पश्चात् प्लाट नम्बर 57.


Asuna mittal



Asuna mittal



PLOT NO.- 57




Mittal

Anurag Mittal

{ 6 }


(ई-स्टॉम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP71769790831201U)

-: संलग्न फोटो उक्त उपहार भवन का है :-




Anna mittal


Mittal

गवाह :- *Vijay Kumar*
विजय कुमार पुत्र श्री रामलाल
निवासी ए-51, गंगा सागर कालौनी, गंगानगर, मेरठ।

गवाह :- *Sunil Kumar*
सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मीचंद अग्रवाल
निवासी 342, शास्त्रीनगर, मेरठ।



दिनांक 09-12-2022 ई0 मसविदा श्री संजय कुमार गुप्ता, आलेखक मेरठ।।

SANJAY KUMAR GUPTA
DOCUMENT WRITER
L. No.: 87, REGISTRY COMPOUND
MEERUT, MOB.: 9337891001

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश **UTTAR PRADESH** नगर निगम, मेरठ 1992 199-54AF 419083 198
 मौहल्ला **हनी गोलक रोड** 1 अप्रैल सन 1976 से 31 मार्च सन 1981 तक के लिए मकान तथा
 वार्ड नं. **5 अथा** भूमियों के वार्षिक मूल्यों पर लगने वाले कर की निर्धारित सूची

क्रमांक	गृह संख्या		दूरी	मालिक का नाम पिता का नाम पता (और एजेंट अगर कोई हो)	नाम किरायेदार	स्थान का विवरण	किराया मासिक	वार्षिक मूल्य	वार्षिक कर	वार्षिक आय जो पुनरीक्षण अधिकारी ने नियत किया		विवरण
	पुराना	नया								गृहकर	जलकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	56	-	श्रीमती अम्ला सिन्हा विजय कुमार सिन्हा	स्वयं	श्रीमती - 154.40 वर्ग मी० GF फ्लोर रू०-1661 वर्ग फुट	-	-	-	3189	399	स्वयं सु० कर निहा आदि० के आदेश दि० 19/7/22 से 1/2 से 26/7/22

ह. प्रतिलिपिकर्ता
ह. जाँचकर्ता:

मुख्य लिपिक 2-8-22
नगर निगम, मेरठ

किरण